समाचार–प्रकाशनार्थ :–

त्रिवेणी मेले के सुनियोजित ढंग से आयोजन हेतु कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा त्रिवेणी मेला परिसर का निरीक्षण

रतलाम 20 दिसम्बर । नगर निगम द्वारा 24 दिसम्बर 2021 से 03 जनवरी 2022 तक त्रिवणी मेला परिसर में आयोजित किये जाने ग्यारह दिवसीय मेले का सुनियोजित तरीके से आयोजन हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार को दोपहर में पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत, सीएसपी श्री हेमन्त चाहान व निगम अधिकारियों के साथ मेला परिसर क्षेत्र पहुंचकर मेला आयोजन हेतु निगम द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

कलेक्टर व निगम प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने मेला क्षेत्र, यज्ञ शाला, त्रिवेणी कुण्ड आदि का निरीक्षण कर समय सीमा में रंगाई–पुताई, सड़क पेंचवर्क, टेन्ट डेकोरेटस, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, विद्युत सज्जा, पेयजल, मेला ग्राउण्ड का समतलीकरण व वॉटरिंग करवाने के निर्देश दिये।

उन्होने निर्देशित किया कि मेले का आयोजन कोविड–19 की गाईड लाईन के तहत हो साथ ही इसकी सुनिश्चित्ता की जाये की मेले में वे लोग आये जिन्होने वैक्सीन के दोनो डोज लगवा लिय है, इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भो किया जाये। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि इस बार मेले की थीम स्वच्छता पर रखी जाये ताकि मेले में आने वाले नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हों।

पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी ने मेला प्रांगण में असामाजिक तत्वों द्वारा कोई शरारत नहीं हो, इस हेतु सतत पेट्रोलिंग करने एवं निगाह रखने के निर्देश सीएसपी को दिए।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री श्री सत्यप्रकाश आचार्य, श्री अरविन्द दशोत्तर, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, ब्रजेश कुशवाह, मनीष तिवारी, पूर्व क्षेत्रिय पार्षद प्रतिनिधि श्री राकेश मीणा, सनातन धर्मसभा व यज्ञ समिति के पदाधिकारी सर्वश्री नवनीत सोनी, राजेन्द्र शर्मा, कैलाश सोनी, आदि उपस्थित थे।

होटलो के बीच होगी स्वच्छता प्रतियोगिता

होटल संचालकों को स्वच्छता प्रतियोगिता की जानकारी से अवगत कराया

रतलाम 20 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के तहत कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में संचालित होटलो के बीच स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित करवाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत ने होटल संचालकों की बैठक लेकर स्वच्छता प्रतियोगिता की जानकारी से अवगत कराया।

आयोजित बैठक में एच एम एस इंदौर के श्री शशांक पाण्डेय ने नगर के होटल संचालकों को स्वच्छ होटल प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि आयोजित प्रतियोगिता में होटल में 4 डस्टबिन रखने पर 30 नंबर, होटल से निकलने वाले गीले कचरे को होटल परिसर में ही प्रसंस्करण करने पर 40 नंबर, कोविड से संबधित सुरक्षा अपनाने पर 40 नंबर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से संबंधित वाल पेंटिंग करवाने पर 40 नंबर, होटल को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर 40 नंबर इस तरह कुल 17 मापदण्डों के तहत 565 नम्बरों की प्रतियोगिता आयोजित होगी।

निगम आयक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर होटल संचालकों से कहा कि वे अपने–अपने होटलों में चार प्रकार क कचरे के पृथक्कीकरण हेतु चार डस्टबीन अनिवार्य रूप से रखें, होटल से निकलने वाले गीले कचर से अपने ही परिसर में पिट लगाकर खाद तैयार कर अपने परिसर का हरा–भरा बनायें, होटल के साथ–साथ आसपास के परिसर को भी साफ रखें और पॉलीथीन व डिस्पोजल का उपयोग ना करें। पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े से बनी थैली, चाय–कॉफी के लिये कुल्हड, डिस्पोजल के स्थान पर बर्तन का उपयोग कर आयोजित प्रतियोगिता में उच्चतम् अंक प्राप्त कर विजेता बनें।

एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत ने इस अवसर पर कहा कि स्वच्छता प्रतियोगिता हेतु आईईसी टीम द्वारा आपके होटल में जाकर स्वच्छता संबंधी जानकारी दी जायेगी व इसकी निगरानी हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा गठित दल द्वारा की जायेगी। प्रतियोगिता में विजेता होटल को पुरस्कृत कर स्वच्छ होटल का दर्जा दिया जायेगा।

इस अवसर पर सीएसपी श्री हेमन्त चौहान, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री जी.एल. वर्मा टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग, श्री बी. राज कुमार एक्सीक्यूटिव इंजीनियर हाउसिंह बोर्ड, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, होटल संचालक सर्वश्री अनिल बाफना समता सागर परिसर, राहूल जाट, लखन छपरी उजाला पैलेस, मकसूद सीता वाटिका, विनोद दायमा बालाजी पैलेस, उमेश शर्मा पलास होटल, मुकेश पांचाल होटल बालाजी सेन्ट्रल आदि उपस्थित थे।

सब्जी व फल विक्रेताओं के लिये बनेगे हाकर्स झोन

रतलाम 20 दिसम्बर । नगर को स्वच्छ–स्न्दर बनाने व यातायात व्यवस्था सुधारने हेत् ऐसे सब्जी व फल विक्रेता जो की सड़क किनारे, फुटपाथ पर बैठकर व्यवसाय करते है उन्हे व्यवसाय करने हेतु उचित स्थान उपलब्ध कराये जाने के लिये निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत व सीएसपी श्री हेमन्त चौहान ने स्थल चयन हेतु बैठक ली।

आयोजित बैठक में पटरी पार क्षेत्र के सब्जी व फल विक्रेताओं हेतु साक्षी पट्रोल पम्प के सामने, राम मंदिर ब्रीज के नीचे व विनोबा नगर मुक्तिधाम के पीछे स्थल उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा की गई। चर्चा में तय किया गया कि उक्त स्थलों को डवलप कराया जाये व सब्जी तथा फल विक्रेताओं का पंजीयन कर उन्हे स्थल उपलब्ध कराया जाये। अलग–अलग स्थानों पर फल व सब्जी मिलने पर नागरिकों को सुविधा हाने के साथ ही विक्रेताओं को भी आर्थिक लाभ होगा तथा यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा।

बैठक में कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे।

गांधी नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन

रतलाम 20 दिसम्बर । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 20 दिसम्बर से आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,75,247/– व जलकर 25,440/– की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1, 2 व 3 के लिये 21 दिसम्बर मंगलवार को गांधीनगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 1, 2 व 3 के लिये 22 दिसम्बर को मालवा नगर लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक 4, 5, 6, 8 व 13 के लिये 23 से 24 दिसम्बर तक अम्बे माता मंदिर जवाहर नगर, वार्ड क्रमांक 4 व 5 के लिये 27 व 28 दिसम्बर को विनोबा नगर पानी की टंकी के पास, वार्ड क्रमांक 5, 6 व 7 के लिये 29 से 30 दिसम्बर तक अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, वार्ड क्रमांक 9 के लिये 31 दिसम्बर को तिरूपति नगर, वार्ड क्रमांक 8 के लिये 1 जनवरी को कोमल नगर मेन रोड, वार्ड क्रमांक 5, 7 व 9 के लिये 3 से 4 जनवरी को मार्निंग स्टार स्कूल, वार्ड क्रमांक 12 के लिये 5 से 7 जनवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने, वार्ड क्रमांक 12 के लिये 8 जनवरी को प्रियदर्शनी नगर, वार्ड क्रमांक 11 के लिये 10 से 11 जनवरी तक को डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 12 जनवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 11 के लिये 13 जनवरी को कलीमी कालोनी, वार्ड क्रमांक 18 के लिये 14 जनवरी को राजेन्द्र नगर, वार्ड क्रमांक 14, 15, 46 व 48 के लिये 15 व 17 जनवरी को डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर, वार्ड क्रमांक 46 व 48 के लिये 18 जनवरी को वेदव्यास कालोनी, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 19 जनवरी को कल्याण नगर, वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिये 20 से 21 जनवरी तक दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22, 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28, 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

खुले में गंदगी करने पर 14 व्यक्तियों पर जुर्माना
मास्क नहीं लगाने पर 52 व्यक्तियों पर जुर्माना
नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें
गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 20 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 20 दिसम्बर को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर प्रहलाद, रामप्रसाद, मोहसीन सैलाना रोड, मयंक, सावन, अशोक महू रोड पर 100–100, देवीलाल, कन्हैयालाल, सोहन, शकील, सोनू सैलाना रोड, नितिन, कालूराम व कपील महू रोड पर 50–50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 52 व्यक्तियों पर 100–100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 20 दिसम्बर। सर्द रातों मं नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, पांजरा पोल, महू रोड बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, कालिका माता, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, चांदनी चौक, गौशाला रोड पेयजल टंकी, ऋतुराज सम्पवेल सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

20 दिसम्बर को 87 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 20 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 20 दिसम्बर सोमवार को 87 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

20 दिसम्बर सोमवार को डम्पर से 34305, ट्रेक्टर से 14975, काम्पेक्टर सूखा कचरा 19595 व काम्पेक्टर गीला कचरा 18725 किलो इस तरह कुल 87600 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

6403 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 20 दिसम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 20 दिसम्बर सोमवार तक 6403 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 64 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

2529 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 79 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 20 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2399 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत 130 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 76 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 20 दिसम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 20 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 20 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्रो झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 20 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/20.12.2021/न.पा.निगम, रतलाम.